मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फोन/ फैक्स नं0–0522–2308501, 2308502 ई मेल–lkomdm@gmail.com
वेबसाइट–www.upmdm.org

पत्रांकः म0भो0प्रा0/८-१89२ /2010–11 दिनांक २० सितम्बर, 2010

सेवा में

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी**
   उत्तर प्रदेश।

विषयः <u>जनपद के राजकीय/परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों हेतु किचेन कम स्टोर निर्माण/किचेन विस्तारीकरण तथा राजकीय/परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जो प्राथमिक विद्यालयों के परिसर से पृथक हैं) हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया राजकीय/परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों हेतु किचेन कम स्टोर निर्माण/किचेन विस्तारीकण हेतु निर्गत **शासनादेश संख्या:1341/79–6–2010 दिनांक 16 सितम्बर, 2010** (छायाप्रति संलग्न) तथा राजकीय/परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जो प्राथमिक विद्यालयों के परिसर से पृथक हैं) हेतु किचेन कम स्टोर निर्माण हेतु निर्गत **शासनादेश संख्याः 1343/79–6–2010 दिनांक 16 सितम्बर, 2010** (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त निर्गत शासनादेशों के क्रम में निम्नलिखित कार्यवाही जनपद स्तर से अपेक्षित है:

1. वर्तमान शिड्यूल ऑफ रेट्स के आधार पर **शासनादेश संख्याः 1181/79–6–2010 दिनांक 10 अगस्त, 2010** (छायाप्रति संलग्न) द्वारा किचेन कम स्टोर के निर्माण एवं किचेन के विस्तारीकरण हेतु संशोधित अनुमन्य धनराशि रू0 78,500/– अनुमोदित की गयी है। **मानकीकृत डिजाइन में कोई संशोधन नहीं किया गया है।**
2. किचेन शेड की निर्गत धनराशि के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वित्तीय वर्ष 2010–11 में दर्ज की जायेगी।
3. जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत मांग के अनुरूप राजकीय/परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शत–प्रतिशत किचेन कम स्टोर/किचेन विस्तारीकरण हेतु तथा राजकीय/परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जो प्राथमिक विद्यालय के परिसर से पृथक हैं) में आंशिक रूप से किचेन कम स्टोर निर्माण की धनराशि प्रेषित की गयी है।
4. राजकीय/परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किचेन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 के पूर्व निर्मित विद्यालयों को ही निर्माण हेतु सम्मिलित किया जायेगा क्योंकि वित्तीय वर्ष 2009–10 से सर्व शिक्षा अभियान के तहत् निर्मित कराये गये सभी नवीन परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किचेन कम स्टोर का प्राविधान निहित है।

5. उक्त शासनादेश में निर्गत धनराशि को तत्काल विद्यालय की शिक्षा निधि में स्थानान्तरित कर निर्माण कार्य **दिसम्बर, 2010** तक अवश्य पूर्ण कराना सुनशिचित किया जायेगा।
6. राजकीय/परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व से निर्मित (यथा डूडा, एस0जी0आर0वाई0 अथवा सर्व शिक्षा अभियान के अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के साथ) किचेन शेडों में किचेन का विस्तारीकरण मानकीकृत डिजाइन **(संलग्नक–1)** के अनुसार तथा जिन विद्यालयों में किसी भी योजना से किचेन शेड का निर्माण नहीं हुआ है ऐसे स्थानों पर किचेन कम स्टोर के मानकीकृत डिजाइन **(संलग्नक–2)** के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. राजकीय/परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किचेन कम स्टोर का निर्माण मानकीकृत डिजाइन **(संलग्नक–2)** के अनुसार ऐसे विद्यालयों में कराया जाना है जो प्राथमिक विद्यालय के परिसर से पृथक हैं। **किसी भी दशा में राजकीय/परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय के परिसर में अवस्थित हैं, में किचेन शेड का निर्माण नहीं कराया जायेगा।**
8. इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों के समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय

(के0 राम मोहन राव)
निदेशक